न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास राजेन्द्र सिंह शेखावत आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 86/2022/अपील/एलआरएक्ट/कोटा
दायरा दिनांक 30.05.2022
अन्तर्गत धाराः अन्तर्गत धारा 90क (2) उपधारा (1) राज0 नगर सुधार अधिनियम,1959

एवं

प्रकरण संख्याः 134/2022/अपील/एलआरएक्ट/कोटा
दायरा दिनांक 01.07.2022
अन्तर्गत धाराः अन्तर्गत धारा 90क (2) उपधारा (1) राज0 नगर सुधार अधिनियम,1959

उनवान

ज्ञान सिंह सिसोदिया पुत्र काहूलाल सिसोदिया, निवासी मकान नम्बर–117, देवाशीष सिटी, बोरखेड़ा कोटा (राज.)

...अपीलान्ट

बनाम

1. नगर विकास न्यास, कोटा निर्माण सचिव
2. अतिक्रमण निरोधक अधिकारी एवं तहसीलदार नगर विकास न्यास, कोटा

...रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित : श्री चन्द्रप्रकाश खण्डेलवाल अभिभाषक –अपीलांट
श्री शंभूदयाल विजय अभिभाषक – रेस्पो0

::निर्णयः:

दिनांक 17.03.2025

अपीलार्थी ने न्यायालय तहसीलदार एवं अतिक्रमण निरोधक अधिकारी, नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा प्रकरण संख्या 102/2022 बउनवान सरकार जरिये नगर विकास न्यास, कोटा बनाम ज्ञान सिंह सिसोदिया नि0 म0नं0 117 देवाशीष सिटी, बोरखेडा, कोटा द्वारा राजस्थान नगर सुधार न्यास अधिनियम 1959 की धारा 91(ए) व 91(बी) के अन्तर्गत जारी नोटिस दिनांक 19.05.2022 एवं प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 30.05.2022 के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा 90क (2) उपधारा (1) राज0 नगर सुधार अधिनियम,1959 में इस न्यायालय में पेश की गई।

1. प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि अतिक्रमण निरोधक अधिकारी एवं तहसीलदार नगर विकास, न्यास कोटा द्वारा अपीलार्थी को मकान नं0 117 ब्लॉक 18 देवाशीष सिटी बोरखेड़ा के अवैध निर्माण को हटवाने बाबत् दिनांक 19.05.2022 को नोटिस जारी कर मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का के अनुसार अपने अवैध निर्माण को नहीं हटाये जाने पर दिनांक 23.05.2022 को उपस्थित होकर स्पष्टीकरण पेश करने हेतु लिखा गया। इसके उपरांत प्रकरण में अधीनस्थ

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

न्यायालय तहसीलदार एवं अतिक्रमण निरोधक अधिकारी, नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा प्रकरण संख्या 102/2022 बउनवान सरकार जरिये नगर विकास न्यास, कोटा बनाम ज्ञान सिंह सिसोदिया नि0 म0नं0 117 देवाशीष सिटी, बोरखेडा, कोटा में पारित निर्णय दिनांक 30.05.2022 अनुसार पटवारी व कानूनगों की रिपोर्ट दिनांक 20.04.2022 के अनुसार ज्ञान सिंह सिसोदिया द्वारा मकान नं0 117 ब्लॉक 18 में अनुमोदित ले–आउट प्लान व विकासकर्ता द्वारा बनाये गये मकान के पीछे की तरफ सेटबेक में नियम विरूद्ध अवैध निर्माण किया जाना प्रमाणित मानते हुए अपीलार्थी को अवैध निर्माण से बेदखल करने का आदेश पारित किया गया।

2. अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार एवं अतिक्रमण निरोधक अधिकारी, नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा प्रकरण संख्या 102/2022 बउनवान सरकार जरिये नगर विकास न्यास, कोटा बनाम ज्ञान सिंह सिसोदिया नि0 म0नं0 117 देवाशीष सिटी, बोरखेडा, कोटा द्वारा राजस्थान नगर सुधार न्यास अधिनियम 1959 की धारा 91(ए) व 91(बी) के अन्तर्गत जारी नोटिस दिनांक 19.05.2022 एवं प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 30.05.2022 से अप्रसन्न होकर अपीलार्थी द्वारा अपील अन्तर्गत धारा 90क (2) उपधारा (1) राज0 नगर सुधार अधिनियम,1959 में इस न्यायालय में पेश कर कथन किया गया कि रेस्पोडेन्ट क्रम 2 द्वारा अपीलान्ट को दिनांक 20.04.2022 को नोटिस अन्तर्गत धारा 91(ए) व 91(बी) राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के तहत नोटिस दिया था कि पटवारी व कानूनगो के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर न्यास के अरबन क्षेत्र में देवाशीष सिटी बोरखेडा, कोटा में निर्माण स्वीकृति प्राप्त किये बिना आपके द्वारा मकान नम्बर 117 देवाशीष सिटी बोरखेडा कोटा में नगर विकास न्यास, कोटा के द्वारा अनुमोदित ले–आउट प्लान व बिल्डर द्वारा बनाये गये मकान के नियम विरुद्ध पीछे की तरफ छोडे गये सेटबेक में अवैध निर्माण कर दो मंजिल कमरों का निर्माण कर लिया है, अतः आप स्वयं उपस्थित होकर अपना जवाब नियत तिथि 28.04.2022 पर आकर पेश करें अन्यथा एकतरफा अवैध निर्माण हटाने का आदेश पारित कर दिया जावेगा। अपीलान्ट के द्वारा दिनाक 28.04.2022 को नोटिस का जवाब पेश कर दिया उसके बाद अपीलान्ट को 10.05.2022 तारीख बतायी गई। दिनांक 10.05.2022 को गया तो 16.05.2022 तारीख निर्णय के लिए बतायी गई। परन्तु 16.05.2022 को सायंकाल रेस्पोडेन्ट क्रम 2 निर्णय के पूर्व ही अपीलान्ट के मकान के सेटबेक का निर्माण तोड़ने के लिए मय जाप्ते के लिए आ गया। परन्तु मकान पर अपीलान्ट की पुत्री होने के कारण धमकी देकर चले गये। अपीलान्ट ने नकल आदेश लेने के लिए प्रार्थनापत्र भी दिया, सूचना के अधिकार के तहत नकल मांगी परन्तु नहीं दी और पुनः 19.05.2022 को नोटिस/आदेश भेज कर 23.05.2022 तक अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया। फिर भी नकल नहीं दी इसलिए प्रार्थी ने दिनांक 19.05.2022 के विरूद्ध अपील पेश की परन्तु न्यायालय में प्रार्थी दिनांक 29.05.2022 को ऑर्डरशीट की नकल लेने गया तो मालूम हुआ कि यू.आई.टी. की पत्रावली में उक्त मामले में निर्णय दिनांक 30.05.2022 को किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 30.05.2022 विधि एवं न्याय के सर्वया विपरीत है जो निरस्त होने योग्य है। रेस्पोडेन्ट क्रम 2 के द्वारा प्रेषित नोटिस दिनांक 20.04.2022, पटवारी व कानूनगो के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट त्रुटिपूर्ण एवं एकपक्षीय है, जो कानूनी प्रावधानों के विपरीत है, दुर्भावनापूर्वक बनायी है। उक्त नोटिस में कहीं अंकित नहीं किया गया है कि पटवारी हल्का व कानूनगो के द्वारा अपीलान्ट के सेटबेक में कितना निर्माण अवैध माना। इससे प्रतीत होता है कि पटवारी हल्का व कानूनगो के द्वारा मौके का अवलोकन व पैमाइश के बिना ही अपीलान्ट की गैर मौजूदगी में दिनांक 20.04.22 व आदेश दिनांक 30.05.22 अवैधानिक रूप से पारित किया है जो

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

निरस्त होने योग्य है। रेस्पोडेन्ट क्रम 2 के द्वारा अपीलान्ट को नोटिस दिनांक 20.04.2022 जारी करने से पूर्व मॉडल राजस्थान नगरीय क्षेत्र भवन विनियम 2020 पर गौर नहीं फरमाया, सेटबेक का निर्माण अवैध नहीं है। रेस्पोडेन्ट क्रम 2 के द्वारा नोटिस दिनांक 20.04.2022 के मामले में अंतिम निर्णय दिनांक 30.05.2022 की सूचना अपीलान्ट को नहीं दी गई और ना ही सूचित किया और अवैधानिक रूप से एवं नियमों के विपरीत निर्णय पारित कर दिया जो निरस्त होने योग्य है। रेस्पोडेन्ट क्रम 2 को निर्णय जेर अपील पारित करने का अधिकार नहीं है। सेटबेक का निर्माण हटाने का अधिकार क्षेत्राधिकार के बाहर का है। फिर भी निर्णय जेर अपील पारित कर दिया वह अवैधानिक है। रेस्पोडेन्ट क्रम–2 के द्वारा निर्णित जेर अपील पारित करने के पूर्व भी अपीलान्ट का निर्माण हटाने के मामले में रेस्पोडेन्ट क्रम 2 दिनांक 16.05.2022 को मय जाप्ता के निर्माण हटाने आया। इससे जाहिर होता है कि रेस्पोडेन्ट क्रम 2 मनमाने तरीके से कानूनी प्रावधानों के विपरीत एवं अपील के प्रावधानों के विपरीत अपीलान्ट को नाजायज परेशान करना चाहता है। राजस्थान नगर सुधार अधिनियम की धारा 91 की उपधारा (2) उपधारा (1) के अधीन व्यथित व्यक्ति न्यास के आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर आदेश के विरूद्ध आयुक्त को अपील कर सकेगा। परन्तु रेस्पोडेन्ट क्रम 2 ने अपीलान्ट को निर्णय दिनांक 30.05.2022 की कोई सूचना नहीं दी एवं दिनांक 30.05.2022 को आई. एल.आर. व पटवारी हल्का को आदेश की पालना के लिए लिख दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के सर्वथा विपरीत है। रेस्पोडेन्ट क्रम 2 के द्वारा नोटिस व जवाब नोटिस के बाद पारित आदेश की अपील की अवधि 30 दिन है। 30 दिन की अवधि गुजर जाने के बाद ही रेस्पोडेन्ट क्रम 2 के द्वारा विधिक प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुऐ पालना के लिए आई.एल.आर. व पटवारी हल्का यू. आई.टी. कोटा को आदेश देना चाहिए परन्तु निर्णय की दिनांक 30.05.2022 को ही आदेश की पालना का आदेश जारी करना अपीलान्ट को उसके अपील के अधिकार से वंचित करने के अन्तर्गत आता है। मॉडल राजस्थान नगरीय क्षेत्र भवन विनियम 2020 की धारा 10.2 में वर्णित तालिका में भूखण्डों पर भवन हेतु मापदण्ड के तहत अपीलान्ट का निर्माण अवैध नहीं है। रेस्पोडेन्ट क्रम 2 ने इन नियमों को नजर अंदाज कर निर्णय जेर अपील पारित किया है, जो निरस्त होने योग्य है। अपीलान्ट को नगर विकास न्यास कोटा द्वारा नोटिस दिनांक 20.04.22 के बाद आदेश नोटिस दिनांक 19.05.22 जारी किया था, जिसकी अपीलान्ट ने माननीय न्यायालय में अपील पेश की है जो जेरकार है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर न्यायालय अतिक्रमण निरोधक अधिकारी एवं तहसीलदार नगर विकास न्यास, कोटा का निर्णय दिनांक 30.05.2022 निरस्त फरमाया जावे।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारान सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि शिकायतकर्ता भरतसिंह मीणा द्वारा अपने मकान के पीछे हवा रोशनी बाधित होने के आधार प यू. आई.टी. कोटा में झूठी एवं असत्य शिकायती प्रार्थना–पत्र पेश किया, जिसके संदर्भ में रेस्पो0 क्र. 2 द्वारा अपीलांट को दिनांक 20.04.2022 को नोटिस अन्तर्गत धारा 91ए व 91बी राजस्थान सुधार अधिनियम 1959 के तहत दिया कि पटवारी हल्का एवं कानूनगो के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 20.

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

04.2022 के आधार पर न्यास के अरबन क्षेत्र में देवाशीष सिटी बोरखेड़ा, कोटा में निर्माण स्वीकृति प्राप्त किये बिना मकान नं0 117 देवाशीष सिटी बोरखेड़ा कोटा में नगर विकास न्यास कोटा के द्वारा अनुमोदित ले–आउट प्लान व बिल्डर द्वारा बनाये गये मकान के नियम विरूद्ध पीछे की तरफ छोड़े गये सेटबेक में अवैध निर्माण कर दो मंजिल कमरों का निर्माण कर लिया है। रेस्पोडेन्ट क्रम 2 के द्वारा प्रेषित नोटिस दिनांक 20.04.2022, पटवारी व कानूनगो के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट त्रुटिपूर्ण एवं एकपक्षीय है, जो कानूनी प्रावधानों के विपरीत है, दुर्भावनापूर्वक बनायी है। उक्त नोटिस में कहीं अंकित नहीं किया गया है कि पटवारी हल्का व कानूनगो के द्वारा अपीलान्ट के सेटबेक में कितना निर्माण अवैध माना। इससे प्रतीत होता है कि पटवारी हल्का व कानूनगो के द्वारा मौके का अवलोकन व पैमाइश के बिना ही अपीलान्ट की गैर मौजूदगी में दिनांक 20.04.22 व आदेश दिनांक 30.05.22 अवैधानिक रूप से पारित किया है जो निरस्त होने योग्य है। रेस्पोडेन्ट क्रम 2 के द्वारा अपीलान्ट को नोटिस दिनांक 20.04.2022 जारी करने से पूर्व मॉडल राजस्थान नगरीय क्षेत्र भवन विनियम 2020 पर गौर नहीं फरमाया, सेटबेक का निर्माण अवैध नहीं है। रेस्पोडेन्ट क्रम 2 के द्वारा नोटिस दिनांक 20.04.2022 के मामले में अंतिम निर्णय दिनांक 30.05.2022 की सूचना अपीलान्ट को नहीं दी गई और ना ही सूचित किया और अवैधानिक रूप से एवं नियमों के विपरीत निर्णय पारित कर दिया जो निरस्त होने योग्य है। मॉडल राजस्थान नगरीय क्षेत्र भवन विनियम 2020 की धारा 10. 2 में वर्णित तालिका में भूखण्डों पर भवन हेतु मापदण्ड के तहत अपीलान्ट का निर्माण अवैध नहीं है। तालिका 4.1 के मुताबिक अपीलांट के मकान के सामने सड़क की चौड़ाई 18 मीटर से क़म है एवं अग्र सेटबेक भी करीब 5 मीटर छोड़ रखा है एवं तालिका 4.2 के अनुरूप एवं 18 मीटर से अधिक के भवन की ऊंचाई के लिए ही न्यूनतम पार्श्व (पीछे का) सेटबेक छोड़ने का प्रावधान है। परंतु प्रार्थी का मकान दो मंजिला बना हुआ है। ग्राउण्ड फ्लोर के उपर प्रथम मंजिल बना हुआ है, जिसकी कुल ऊंचाई करीब 24 फुट से अधिक नहीं है। ऐसी स्थिति में मॉडल राजस्थान नगरीय क्षेत्र भवन विनियम 2020 के मुताबिक अपीलांट को भूखण्ड छोटी साइज का होने से एवं ग्राउण्ड फ्लोर पर प्रथम मंजिल अर्थात् बिल्डिंग की कुल ऊंचाई करीब 24 फुट की है, जो कानूनन पार्श्व सेटबेक छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। इन नियमों को नजरअंदाज कर निर्णय जेरअपील पारित किया गया है, जो निरस्त होने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर न्यायालय अतिक्रमण निरोधक अधिकारी एवं तहसीलदार नगर विकास न्यास, कोटा का निर्णय दिनांक 30.05.2022 निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

5. रेस्पो0 अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि अतिक्रमण निरोधक अधिकारी एवं तहसीलदार नगर विकास, न्यास कोटा द्वारा अपीलार्थी को मकान नं0 117 ब्लॉक 18 देवाशीष सिटी बोरखेड़ा के अवैध निर्माण को हटवाने बाबत् दिनांक 19.05.2022 को नोटिस जारी कर मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का के अनुसार अपने अवैध निर्माण को नहीं हटाये जाने पर दिनांक 23.05.2022 को उपस्थित होकर स्पष्टीकरण पेश करने हेतु लिखा गया। इसके उपरांत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार एवं अतिक्रमण निरोधक अधिकारी, नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा प्रकरण संख्या 102/2022 बउनवान सरकार जरिये नगर विकास न्यास, कोटा बनाम ज्ञान सिंह सिसोदिया नि0 म0नं0 117 देवाशीष सिटी, बोरखेडा, कोटा में पारित निर्णय दिनांक 30.05.2022 अनुसार पटवारी व

संभागीय आयुक्त
संभाग, कोटा

कानूनगों की रिपोर्ट दिनांक 20.04.2022 के अनुसार ज्ञान सिंह सिसोदिया द्वारा मकान नं0 117 ब्लॉक 18 में अनुमोदित ले–आउट प्लान व विकासकर्ता द्वारा बनाये गये मकान के पीछे की तरफ सेटबेक में नियम विरूद्ध अवैध निर्माण किया जाना प्रमाणित मानते हुए अपीलार्थी को अवैध निर्माण से बेदखल करने का आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय न्यायोचित है। अतः अपील अस्वीकार की जाकर खारिज फरमायी जाने का अनुरोध किया गया।

6. हमने अपील पत्रावली का अवलोकन कर बहस उभयपक्षकारान पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि श्री भरत सिंह मीना, निवासी मकान नं0 132, ब्लॉक 18, देवाशीष सिटी, बोरखेड़ा, कोटा के द्वारा दिनांक 18.04.2022 को एक प्रार्थना–पत्र सचिव, नगर विकास न्यास कोटा को प्रस्तुत कर देवाशीष सिटी, बोरखेड़ा में मकान नं0 117 ब्लॉक 18 के मकान मालिक ज्ञान सिहं सिसोदिया के द्वारा करवाये गये अवैध निर्माण कार्य को ध्वस्त करवाने का अनुरोध किया गया। उक्त प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों के संबंध में अतिक्रमण निरोधक अधिकारी एवं तहसीलदार, नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा पटवारी व कानूनगो के द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट अनुसार अपीलांट को दिनांक 20.04.2022 को नोटिस जारी कर दिनांक 28.04.2022 तक जवाब प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया। अपीलार्थी द्वारा नोटिस दि0 20.04.2022 का प्रत्युत्तर दिनांक 28.04.2022 को पेश कर प्रकरण में निर्माण के नियमितिकरण की कार्यवाही करने का उल्लेख करते हुए उक्त नोटिस को निरस्त करने का अनुरोध किया गया। तत्पश्चात् अतिक्रमण निरोधक अधिकारी एवं तहसीलदार, नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा पटवारी हल्का से पुनः दिनांक 18.05.2022 को मौका रिपोर्ट पेश करने हेतु लिखा गया एवं अपीलार्थी ज्ञानसिंह सिसोदिया को अवैध निर्माण को हटवाने बाबत् दिनांक 19.05.2022 को नोटिस जारी किया गया। अपीलांट द्वारा दिनांक 26.05.2022 को जवाब प्रस्तुत कर उक्त नोटिस ड्रॉप करने का अनुरोध किया गया। अपीलांट द्वारा जवाब प्रस्तुत किये जाने के उपरांत अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार एवं अतिक्रमण निरोधक अधिकारी, नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा प्रकरण संख्या 102/2022 बउनवान सरकार जरिये नगर विकास न्यास, कोटा बनाम ज्ञान सिंह सिसोदिया नि0 म0नं0 117 देवाशीष सिटी, बोरखेडा, कोटा में पारित निर्णय दिनांक 30.05.2022 अनुसार पटवारी व कानूनगों की रिपोर्ट दिनांक 20.04.2022 के अनुसार ज्ञान सिंह सिसोदिया द्वारा मकान नं0 117 ब्लॉक 18 में अनुमोदित ले–आउट प्लान व विकासकर्ता द्वारा बनाये गये मकान के पीछे की तरफ सेटबेक में नियम विरूद्ध अवैध निर्माण किया जाना प्रमाणित मानते हुए अपीलार्थी को अवैध निर्माण से बेदखल करने का आदेश पारित किया गया।

7. उपरोक्त विवेचनानुसार प्रश्नगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.05.2022 के अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि अपीलांट के द्वारा सेटबेक में किये गये कितने निर्माण को अवैध माना है, का उल्लेख नहीं किया गया है तथा निर्णय दिनांक 30.05.2022 में यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि अपीलांट द्वारा सेटबेक का अवैध निर्माण करने के संबंध में किस प्रकार से मॉडल राजस्थान (नगरीय क्षेत्र) भवन विनियम, 2020 (Model Rajasthan (Urban Area) Building Regulations, 2020) के विपरित जाकर अवैध निर्माण किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में मॉडल राजस्थान (नगरीय क्षेत्र) भवन विनियम, 2020 के अनुसार पुनः निर्णय पारित किये जाने के

संभागीय आयुक्त
संभाग, कोटा

लिए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है। परिणामस्वरूप उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर न्यायालय तहसीलदार एवं अतिक्रमण निरोधक अधिकारी, नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा प्रकरण संख्या 102/2022 बउनवान सरकार जरिये नगर विकास न्यास, कोटा बनाम ज्ञान सिंह सिसोदिया नि0 म0नं0 117 देवाशीष सिटी, बोरखेडा, कोटा में राजस्थान नगर सुधार न्यास अधिनियम 1959 की धारा 91(ए) व 91(बी) के अन्तर्गत पारित निर्णय दिनांक 30.05.2022 अपास्त किया जाता है। प्रकरण न्यायालय तहसीलदार एवं अतिक्रमण निरोधक अधिकारी, नगर विकास न्यास, कोटा को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित (रिमांड) किया जाता है कि मॉडल राजस्थान (नगरीय क्षेत्र) भवन विनियम, 2020 (Model Rajasthan (Urban Area) Building Regulations, 2020) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार प्रकरण का समुचित परीक्षण/जांच कर प्रकरण मे पुनः तर्कसंगत एवं विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

8. निर्णय आज दिनांक 17.03.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

17/3/25

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा